जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नजीबाबाद **दिनांक – 05.08.2025**

थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल ड्रोन वीडियो प्रकरण में 02 अभियुक्तों को ड्रोन कैमरा व अन्य उपकरण सहित किया गया गिरफ्तार।

कार्यवाही –

दिनांक 05.08.2025 को सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर एक पोस्ट प्राप्त हुई जिसमें कस्बा नजीबाबाद क्षेत्रान्तर्गत मालन नदी में आए पानी की स्थिति का ड्रोन कैमरे के माध्यम से वीडियो एवं फोटोग्राफी कर सोशल मीडिया प्लेटफार्मो (इंस्टाग्राम) पर म्यूजिक के साथ पोस्ट किया गया है, जिससे भ्रम अथवा अफवाह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है । उपरोक्त घटना के संबंध में वादी श्री सौरभ सिंह की तहरीर के आधार पर थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 272/2025 धारा 289/125 बी0एन0एस बनाम अजीम पंजीकृत किया गया।

विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उपरोक्त अभियोग में मनीष कुमार पुत्र श्याम सुंदर निवासी मोहल्ला शामियान कस्बा सहानपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर का नाम भी प्रकाश में आया।

कार्यवाही-

थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 05.08.2025 को उपरोक्त अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त 1- अजीम पुत्र वसीम निवासी मोहल्ला रामपुरा कस्बा एवं थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर व 2- मनीष कुमार पुत्र श्याम सुंदर निवासी मोहल्ला शामियान कस्बा सहानपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को एक ड्रोन, एक ड्रोन कैमरा, तीन बैटरियाँ एवं एक चार्जर सहित गिरफ्तार किया गया। आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.अजीम पुत्र वसीम निवासी मोहल्ला रामपुरा कस्बा एवं थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
2.मनीष कुमार पुत्र श्याम सुंदर निवासी मोहल्ला शामियान कस्बा सहानपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

बरामदगी –

एक ड्रोन, एक ड्रोन कैमरा, तीन बैटरियाँ एवं एक चार्जर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 सौरभ सिंह थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
2.उ0नि0 रामवीर शर्मा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
3.कां0 रुपेन्द्र थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
4.कां मोनू थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना मंडावली **दिनांक – 05.08.2025**

थाना मंडावली पुलिस ने मु0अ0सं0 94/2025 धारा 64(1) बीएनएस व ¾ पॉक्सो अधि0 से सम्बन्धित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 04.08.2025 को वादिया ने थाना मंडावली पर तहरीर दी कि दिनांक 03.08.2025 को वह घर से बाहर सार्वजनिक शौचालय के पास कूडा डालने गयी थी। इसी दौरान शाहबाज पुत्र आमिल निवासी ग्राम जटपुरा बोण्डा थाना मंडावली जनपद बिजनौर वादिया को पकडकर शौचालय में ले गया एवं उसके साथ गलत काम किया गया।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मंडावली पर मु0अ0सं0 94/2025 धारा 64(1) बीएनएस व ¾ पॉक्सो अधि0 बनाम शाहबाज उपरोक्त पंजीकृत किया गया है। प्रारंभिक जानकारी में यह तथ्य प्रकाश में आये कि दोनो पूर्व से एक दूसरे से परिचित थे।

कार्यवाही –

आज दिनांक 05.08.2025 को थाना मंडावली पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से सम्बंधित अभियुक्त शाहबाज पुत्र आमिल निवासी ग्राम जटपुरा बोण्डा थाना मंडावली जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

शाहबाज पुत्र आमिल निवासी ग्राम जटपुरा बोण्डा थाना मंडावली जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री देवपाल सिंह थाना मंडावली जनपद बिजनौर

2.हे0कां0 820 कालूराम थाना मंडावली जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- जनपद बिजनौर दिनांकः- 05.08.2025

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में थाना रेहड पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा वादिया के पति के साथ गाली-गलौंच व मारपीट करने वाले अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व कुल 37,000/- रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाहीः–

अवगत कराना है कि वादिया द्वारा थाना रेहड पर तहरीर दी गयी थी कि अभियुक्त राजकुमार पुत्र जयप्रकाश निवासी ग्राम दहलावाला थाना रेहड जनपद बिजनौर द्वारा उसके पति के साथ गाली-गलौच करते हुए मारपीट की गयी तथा जान से मारने की नीयत से लोहे के हत्थे से वार किये गये । इस संबंध में तहरीर के आधार पर थाना रेहड पर मु0अ0सं0 55/23 धारा 307/452/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया । विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया ।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 05.08.2025 को मा0 न्यायालय A.D.J.-I,बिजनौर द्वारा मु0अ0सं0 55/23 धारा धारा 307/452/504/506 भादवि के अभियुक्त राजकुमार उपरोक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व कुल 37,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पताः-

राजकुमार पुत्र जयप्रकाश निवासी ग्राम दहलावाला थाना रेहड जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर **दिनांक – 05.08.2025**

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने मु0अ0सं0 657/2025 धारा 147/504/506 भा0द0वि0 व 3(1)(द) / 3(1)(ध) / 3(2)(5a) एस.सी./एस.टी. एक्ट से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 01.08.2025 को वादिया श्रीमती सुलेन्द्रा पत्नी श्रीराम निवासी ग्राम सदुपुरा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ने थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.अजब सिंह पुत्र बनवारी सिंह निवासी ग्राम जमालपुर पठानी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर 2.तालिब, 3.आबिद, 4.आदिल, 5.खालिद पुत्रगण ताहिर निवासीगण मौ0 चाहशीरी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर द्वारा दिनांक 27.07.2022 को वादिनी के साथ गाली–गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए वादिया के साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 657/2025 धारा 147/504/506 भा0द0वि0 व 3(1)(द)/3(1)(ध)/3(2)(5a) एस.सी./एस.टी. एक्ट पंजीकृत किया गया।

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1.तालिब व 2.आबिद को पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

कार्यवाही –

आज दिनांक 05.08.2025 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1.खालिद व 2.आदिल पुत्रगण ताहिर निवासी मौ0 चाहशीरी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1.खालिद पुत्र ताहिर निवासी मौ0 चाहशीरी थाना को0 शहर जनपद बिजनौर

2.आदिल पुत्र ताहिर निवासी मौ0 चाहशीरी थाना को0 शहर जनपद बिजनौर

अभियुक्त खालिद का आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0सं0 756/2005 धारा 420/467468/471 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

2.मु0अ0सं0 145/2016 धारा 414/420/467/468/471 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

3.मु0अ0सं0 584/2025 धारा 109(1)/126(2)/191(2)/3(5)/351(2)/352बीएनएस थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

4.मु0अ0सं0 657/2025 धारा 147/504/506 भादवि व 3(1)(द)/3(1)(ध)/3(2)(5a) एस.सी./एस.टी. एक्ट थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

अभियुक्त आदिल का आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0सं0 657/2025 धारा 147/504/506 भादवि व 3(1)(द)/3(1)(ध)/3(2)(5a) एस.सी./एस.टी. एक्ट थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री दीपक कुमार थाना को0शहर जनपद बिजनौर

2.हे0कां0 603 आदेश कुमार थाना को0शहर जनपद बिजनौर

3.कां0 2061 सन्दीप कुमार थाना को0शहर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना स्योहारा **दिनांक – 05.08.2025**

थाना स्योहारा पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तगण को 06 विद्युत मोटर, जुगाड मोटरसाइकिल व मोटर का टूटा हुआ सामान सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण –

दिनांक 04.08.2025 को वादी जब्बार पुत्र अबरार अहमद निवासी मौ0 पटवारियान कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ने तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.दिलशाद पुत्र मुजाहिद व 2.नदीम पुत्र माहिर निवासीगण मौ0 अफगागनान कस्बा सहसपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर सारा फूड्स फैक्ट्री यागूबपुर से चोरी करते हुए मौके से पकडे गये। अभियुक्तों के कब्जे से एक जुगाड मोटरसाइकिल, 06 विद्युत मोटर व एक कट्टे मे मोटर का टूटा हुआ सामान बरामद हुआ । बरामदगी के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 295/25 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस बनाम दिलशाद आदि उपरोक्त कुल 02 नफर पंजीकृत किया गया। अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.दिलशाद पुत्र मुजाहिद निवासी मौ0 अफगागनान कस्बा सहसपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

2.नदीम पुत्र माहिर निवासी मौ0 अफगागनान कस्बा सहसपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

अभियुक्त दिलशाद का पूर्व का आपराधिक इतिहास –

मु0अ0सं0 545/22 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

बरामदगी –

01 जुगाड मोटरसाइकिल

06 विद्युत मोटर

एक कट्टे मे मोटर का टूटा हुआ सामान

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नहटौर **दिनांक – 05.08.2025**

थाना नहटौर पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों को चोरी किये ₹ 39,500 /-, 157 सिगरेट की डिब्बी व घटना मे प्रयुक्त मोटरसाइकिल एवं दो अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 03.08.2025 को वादी श्री उदित माहेश्वरी पुत्र श्री गोपाल मोहन माहेश्वरी निवासी मौ0 खातियान चवन्नीवाला कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर ने थाना नहटौर पर तहरीर दी कि दिनांक 30.07.2025 को वादी का कर्मचारी राकेश शर्मा पुत्र स्व0 प्यारेलाल शर्मा निवासी मौ0 सूर्यनगर कॉलोनी जैतरा रेलवे फाटक धामपुर सिगरेट सप्लाई करने के लिये नहटौर क्षेत्र में गया था। सप्लाई पूरी करने के पश्चात जब राकेश उपरोक्त झालू चौराहे पर स्थित कंफैक्शनरी की दुकान पर ऑर्डर लेने के लिये दुकान के अंदर गया, इसी दौरान दो अज्ञात चोर वादी की मोटरसाइकिल पर बंधे थेले, जिसमे ₹ 1,30,000 /- व मालबोरो सिगरेट की 125 डिब्बी व कमान्डर सिगरेट की 200 डिब्बी रखी हुई थी, को चोरी कर ले गये। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नहटौर पर मु0अ0सं0 212/2025 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

आज दिनांक 05.08.2025 को थाना नहटौर पुलिस द्वारा उक्त अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1.शकील अहमद पुत्र मो0 रफी निवासी ग्राम जीवनगढ थाना क्वार्सी जनपद अलीगढ हाल निवासी ग्राम सफियाबाद थाना स्योहारा जनपद बिजनौर व 2.अतीक पुत्र शरीफ निवासी ग्राम फैजुल्लापुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को चोरी किये ₹ 39,500 /- नगद, बोरो सिगरेट की 99 डिब्बी व कमान्डर सिगरेट की 58 डिब्बी व घटना मे प्रयुक्त मोटरसाइकिल अपाचे रजि0 नं0 UP21BH7109 एवं दो अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.शकील अहमद पुत्र मो0 रफी निवासी ग्राम जीवनगढ थाना क्वार्सी जनपद अलीगढ हाल निवासी ग्राम सफियाबाद थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

2.अतीक पुत्र शरीफ निवासी ग्राम फैजुल्लापुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

बरामदगी –

चोरी किये ₹ 39,500 /- नगद

बोरो सिगरेट की 99 डिब्बी व कमान्डर सिगरेट की 58 डिब्बी

घटना मे प्रयुक्त मोटरसाइकिल अपाचे रजि0 नं0 UP21BH7109 (सीज)

दो अवैध चाकू

अभियुक्त शकील उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 147/2013 धारा 398/401 भादवि थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
2. मु0अ0सं0 151/2013 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
3. मु0अ0सं0 671/2013 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
4. मु0अ0सं0 550/2014 धारा 398/401 भादवि थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
5. मु0अ0सं0 552/2014 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
6. मु0अ0सं0 500/2017 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
7. मु0अ0सं0 376/20 धारा 60 (1) आबकारी अधि0 थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
8. मु0अ0सं0 33/2023 धारा 401 भादवि थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
9. मु0अ0सं0 35/2023 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
10. मु0अ0सं0 212/2025 धारा 303(2)/ धारा 317(2) बीएनएस व 4/25 आयुध अधि0 थाना नहटौर जनपद बिजनौर

अभियुक्त अतीक उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 919/2007 धारा 398/401 भादवि थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
2. मु0अ0सं0 921/2007 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
3. मु0अ0सं0 195/2009 धारा 398/401 भादवि थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
4. मु0अ0सं0 197/2009 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
5. मु0अ0सं0 147/2013 धारा 398/401 भादवि0 थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
6. मु0अ0सं0 150/2013 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
7. मु0अ0सं0 550/2014 धारा 398/401 भादवि थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
8. मु0अ0सं0 114/2019 धारा 8/20 एनडीपीएस अधि0 थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
9. मु0अ0सं0 115/2019 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
10. मु0अ0सं0 322/2019 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
11. मु0अ0सं0 240/2020 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
12. मु0अ0सं0 212/2025 धारा 303(2) धारा 317(2) बीएनएस व 4/25 आयुध अधि0 थाना नहटौर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 सोनू निगम थाना नहटौर जनपद बिजनौर
2.कां0 695 नवीन कुमार थाना नहटौर जनपद बिजनौर
3.कां0 749 राजदीप थाना नहटौर जनपद बिजनौर
4.कां0 1276 राहुल यादव थाना नहटौर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना चांदपुर **दिनांक – 05.08.2025**

थाना चांदपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त को अवैध शस्त्र सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही –

दिनांक 05.08.2025 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त इकरामुद्दीन पुत्र नुरूद्दीन निवासी ग्राम हीमपुर बुजुर्ग थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को एक अवैध तमंचा 12 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बंध में थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 432/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

इकरामुद्दीन पुत्र नुरूद्दीन निवासी ग्राम हीमपुर बुजुर्ग थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

एक अवैध तमंचा 12 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
2.का0 754 मुकेश कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर दिनांक – 04.08.2025

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा 03 शस्त्र धारकों के शस्त्र निरस्तीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।

सादर अवगत कराना है कि अभियुक्त 1- आबिद पुत्र ताहिर 2- खालिद पुत्र ताहिर 3- मौ0 तालिब पुत्र ताहिर निवासीगण मौ0 चाहशीरी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर के विरुद्ध थाना कोतवाली शहर/थाना स्योहारा/थाना नहटौर पर कई अभियोग पंजीकृत है, जिनका विवरण निम्न हैः-

आबिद पुत्र ताहिर निवासी मौ0 चाहशीरी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

1. मु0अ0स0 756/2005 धारा 420/467/468/471 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर।
2. मु0अ0स0 657/2025 धारा 147/504/506 भादवि 3(1)द3(ध)3(2)(V)A एससीएसटी एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर।

खालिद पुत्र ताहिर निवासी मौ0 चाहशीरी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

1. मु0अ0स0 756/2005 धारा 420/467/468/471 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर।
2. मु0अ0सं0 145/2016 धारा 414/420/467/468/471 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर।
3. मु0अ0सं0 584/2025 धारा 109(1)/3(5)/352/351(2)/191(2)/126(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर।
4. मु0अ0स0 657/2025 धारा 147/504/506 भादवि 3(1)द3(ध)3(2)(V)A एससीएसटी एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर।

मौ0 तालिब पुत्र ताहिर निवासी मौ0 चाहशीरी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

1. मु0अ0स0 756/2005 धारा 420/467/468/471 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर।
2. मु0अ0सं0 407/2017 धारा 342/376डी/506 भादवि थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
3. मु0अ0सं0 448/2017 धारा 120बी/366/368/376डी/506 भादवि थाना नहटौर जनपद बिजनौर।
3. मु0अ0सं0 894/2022 धारा 120बी/420/467/468/471 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर।
4. मु0अ0स0 657/2025 धारा 147/504/506 भादवि 3(1)द3(ध)3(2)(V)A एससीएसटी एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर।

अतः उपरोक्त अभियुक्तो द्वारा भविष्य में अपने शस्त्र लाईसेंस से कभी भी कोई संज्ञेय अपराध कारित कर लोक शांति को छिन्न भिन्न करने की पूर्ण संभावना के दृष्टिगत शस्त्र धारको का शस्त्र लाईसेन्स को निरस्त करने की याचना श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, जनपद बिजनौर से की गयी थी। इसी क्रम में जिलाधिकारी महोदय, जनपद बिजनौर द्वारा शस्त्र धारक आबिद, खालिद व मौ0 तालिब के शस्त्र दिनांक 04.08.2025 को निलम्बित कर दिया गया है और साथ ही उपरोक्त तीनो के शस्त्रो को आज दिनांक 04.08.2025 को थाना कोतवाली शहर पर जमा कर दिया गया है, जिनका विवरण निम्न हैः-

आबिद पुत्र ताहिर निवासी मौ0 चाहशीरी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

शस्त्र लाईसेन्स संख्या 3200/II NPB रिवाल्वर संख्या M-107328-32 बोर आई0डी0 5600109092015

खालिद पुत्र ताहिर निवासी मौ0 चाहशीरी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

शस्त्र लाईसेन्स संख्या 2295/II AB02-1396 रायफल संख्या 315 बोर UIN 335600025565272015

मौ0 तालिब पुत्र ताहिर निवासी मौ0 चाहशीरी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

शस्त्र लाईसेन्स संख्या 2295/II NPB रिवाल्वर संख्या M-11922-32 बोर UIN 335600015678342015